HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. SOS Application No. 2327/2025

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 3026/2025

Ganesh @ Ganesharam S/o Ruparam, Aged About 61 Years, R/o Ward No. 38 Kasba Laxmangarh District Sikar. (Presently Confined At District Jail Sikar)

----Appellants

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Nikhil Saini, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP Ms. Arjita Singh, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

07/05/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

2. विद्वान विचारण न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ, जिला सीकर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **18/2021** में पारित निर्णय 13.11.2025 के माध्यम से प्रार्थी–अभियुक्त को धारा **304 भाग प्रथम सपठित धारा 34, 341 व 323/34** भा.दं.सं. के अपराध में अधिकतम **10** वर्ष के **कठोर** कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी का निवेदन है कि अभियुक्त निर्दोष है, मृतक त्रिलोक को मात्र एक चोट सिर पर कारित होना और उसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित होना बताया गया है, यह चोट वर्तमान अभियुक्त द्वारा कारित की गयी हो, इस संबंध में पत्रावली पर साक्ष्य नहीं है। वास्तव में परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्त पक्ष के साथ मारपीट की गयी थी जिसमें अभियुक्त गणेश व अन्य के काफी चोटें आई थी जिसके संबंध में परिवादी पक्ष के विरूद्ध मामला विचाराधीन है, घटना की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गयी है, चिकित्सकीय साक्ष्य से भी मामला प्रमाणित नहीं है, अभियुक्त 68 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है, करीब 11 माह की सजा भुगत चुका है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, दोषसिद्धी हेतु कोई विश्वसनीय व विधितः स्वीकार्य साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, अपील में अभियुक्त के सफल होने की पूर्ण संभावना है, अतः यह सजा स्थगन आवेदन स्वीकार करते हुए सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. सुना गया एवं समस्त तथ्यों एवं तर्कों पर विचार किया गया।

6. हस्तगत मामले में अभियुक्त/प्रार्थी व अन्य अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उनके द्वारा परिवादी पक्ष के साथ योजनाबद्ध तरीके से मारपीट की गयी थी। परिवादीया पिंकी देवी द्वारा अपने कथनों में जाहिर किया गया है कि अभियुक्तगण घातक हथियारों से लैश होकर मौके पर आये तथा उसके ससुर त्रिलोक को गणेशराम ने पैरों से पकड लिया, सुभाष ने हाथ पकड लिया तथा अन्य अभियुक्त द्वारा उसके ससुर त्रिलोक के सिर में लाठी व पाईप से मारपीट की और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी। विचारण न्यायालय द्वारा मौखिक साक्ष्य व अन्य सामग्री के आधार पर घटना दोनों पक्षों में परस्पर घटित होना अभिनिर्धारित करते हुए अभियुक्त/प्रार्थी सहित अन्य अभियुक्तगण को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया गया है, लेकिन धारा 304 पार्ट प्रथम के अपराध में दोषसिद्ध करार देते हुए उपरोक्तानुसार दंडित

किया गया है। दस वर्ष की सजा के मुकाबले अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि मात्र 11 माह हुई हैं।

7. प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, उसकी विश्वसनीयता, अपराध की गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना यह सजा स्थगन आवेदन/जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

8. परिणामतः यह सजा स्थगन/जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma/68